



नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ४७) काठमाडौं, असार ६ गते २०५४ साल (अतिरिक्ताङ्क १४)

भाग ४

श्री ५ को सरकार

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना

श्री ५ को सरकारले मिति २०५३।५।३ को निर्णयानुसार सिराहा जिल्लाको लहानमा थप माजपोत कार्यालय स्थापना गरी हाल मालपोत कार्यालय सिराहाको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने निम्नलिखिल नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरू २०५४ साल आषाढ १२ गतेदेखि मालपोत कार्यालय लहानले हेर्ने गरी तोकेको छ ।

- | | |
|--|----------------------|
| १) लहान नगरपालिका (लहान बजार, लहान गोठ, सिद्धाही मटिहर्वा) | २) बडहरा माल |
| ४) फुलवरिया | ३) कर्जनहा |
| ६) चन्द्र उदयपुर | ५) रामनगर मिर्चैया |
| ८) जमदह | ७) चन्द्रलालपुर |
| १०) वस्तिपुर | ९) लालपुर |
| १२) ढोडना | ११) मुक्सार |
| १४) भदैया | १३) तरगना गोविन्दपुर |
| १६) अयोध्यापुर | १५) गोविन्दपुर |
| १८) गमहरिया महेशपुर | १७) चैनपुर हाल धनगडी |
| २०) मल्हनिया खोरी | १९) रामपुर विर्ता |
| २२) फुलकाहाकटि | २१) असनपुर |
| | २३) भगवानपुर |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको छ। मात्र लागु हुनेछ।

- | | |
|------------------------|------------------------|
| २४) पडरिया | २५) मोहनपुर कमलापुर |
| २६) पिपरा प्र. ध. | २७) जिझौल |
| २८) सिसवती | २८) ब्रम्हान गोर्छारी |
| ३०) सोनमती मझौरा | ३१) भवानीपुर का.ब. |
| ३२) गाढा | ३३) सखुवा ननकारकट्टि |
| ३४) मौवाही | ३५) महादेव पोर्ताहा |
| ३६) खरूवाही | ३७) मझौरा |
| ३८) कचनारी | ३९) नवराजपुर |
| ४०) इनर्वा | ४१) भगवतीपुर तामासुइया |
| ४२) इटहर्वा | ४३) सोठीआइन |
| ४४) सितापुर प्र.ध. | ४५) महेशपुर हरिनगर |
| ४६) नहरा रिगोल | ४७) पोखरा भिण्डा |
| ४८) भवानीपुर प्र.ध. | ४९) विष्णुपुर प्र.ध. |
| ५०) हनुमाननगर प्र.ध. | ५१) चन्द्र अयोध्यापुर |
| ५२) लक्ष्मीपुर प्र.ध. | ५३) देवनगर |
| ५४) गैरसाह | ५५) नैनपुर |
| ५६) ठाडी विश्वास पट्टि | ५७) लवटोली |

आज्ञाले,
ललितबहादुर वम
५ को सरकारको सचिव

१) गणेश	२) गणेश
३) गणेश	४) गणेश
५) गणेश	६) गणेश
७) गणेश	८) गणेश
९) गणेश	१०) गणेश
११) गणेश	१२) गणेश
१३) गणेश	१४) गणेश
१५) गणेश	१६) गणेश
१७) गणेश	१८) गणेश
१९) गणेश	२०) गणेश
२१) गणेश	२२) गणेश
२३) गणेश	२४) गणेश
२५) गणेश	२६) गणेश
२७) गणेश	२८) गणेश
२९) गणेश	३०) गणेश

(१)

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

९०४